FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
ठाकरा पुत्र वगता, जाति बिश्नोई, निवासी मीरपुरा, तहसील सांचौर, जिला जालौर (राज0)	1	रामचंद पुत्र भीया (फौत) के का0मु0 व वारिशान.गौरा बैवा रामचंद वगैरा कुल 11 पक्षकार

अपील संख्या 40 / 2018

किस्म मुकद्दमा : अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24-12-18	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। वकील अपीलाण्ट उपस्थित। अपीलाण्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सांचौर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 24/2018 में पारित आदेश दिनांक 17.12.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलाण्ट की बहस एकपक्षीय सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स की सह खातेदारी की भूमि है, जिसके मौके पर पक्षकारान् अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है, किन्तु राजस्व रेकर्ड में विधिक विभाजन नहीं हुआ है। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट्स को विभाजन हेतु निवेदन किया, जिस पर रेस्पोडेन्ट्स ने इन्कार कर दिया। इस कारण अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद तथा अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट्स को होते ही रेस्पोडेन्ट्स भूमि के विशिष्ठ हिस्से के बेचान हस्तान्तरण करने की धमकी देने लगे, यहां तक की उन्होने जैर अपील विवादित आराजी का कुछ भाग दिनांक 19.11.2018 को अजनबी व्यक्ति को बेचान कर दिया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैर अपील विवादित आराजी के बेचान हस्तान्तरण को रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का भरकस प्रयास किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई करने का ही प्रयास नहीं किया तथा प्रकरण में विलम्बित करने की मंशा से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसे दृष्टिगत रखते हुए रेस्पोडेन्ट पुनः भूमि के बेचान हस्तान्तरण करने पर आमादा है, जिन्हे नहीं रोका गया, तो अपीलाण्ट अनावश्यक विवाद होगा तथा वाद बाहुल्यता होगी, जिसे रोका जाना आवश्यक है। यदि रेस्पोडेन्ट्स को इससे नही रोका जाता है, तो निश्चय ही अपीलाण्ट को क्षति कारित होगी, जिसकी रूपयों में कदापि मूल्यांकन नही किया जा सकता है। अतः रेस्पोडेन्ट्स को जरिये अन्तरिम निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपील के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की जो प्रतियां प्रस्तुत की गई है, उनके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.08.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा उसके पश्चात पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होना दर्शाते हुए तारीख पेशी को मुल्तवी की गई है। रेस्पोडेन्ट को विवादित आराजी के बेचान से रोकने हेतु अपीलाण्ट द्वारा	

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवश्यक सुनवाई कर रेस्पोडेन्ट को जरिये अन्तरिम व्यादेश से पाबन्द कराने का निवेदन किया गया, जो प्रार्थना पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष दिनांक 20.11.2018 को प्रस्तुत किया गया, किन्तु इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो प्रकरण को आवश्यक सुनवाई हेतु नियत किया गया एवं न ही उस प्रार्थना पत्र के अनुक्रम में कोई कार्यवाही की गई। यह प्रक्रिया अपीलाण्ट के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है, क्योंकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब पक्षकार न्यायालय में वाद प्रस्तुत करता है एवं विरोधी पक्षकार के किसी अपकृत्य को तत्काल रोकने की आवश्यकता होती है तथा पक्षकार द्वारा यह आभास करवाया जाता है कि विरोधी पक्षकार ऐसी सम्पति को क्षति पहुँचाने का कार्य कर रहा है या ऐसे कार्य करने की धमकी देता है, जो कि निश्चित रूप से दूसरे पक्षकार के लिए अपूर्णीय क्षति का कारक बनता है, ऐसी अवस्था में न्यायालय का प्रथम कर्तव्य होता है कि वाद के लम्बित रहने के दौरान या उसके अन्तिम निर्णय तक विवादित आराजी की सुरक्षा करने के लिए वाद के दिवस की स्थिति को बनाए रखने का पक्षकारान् को अन्तरिम आदेश/व्यादेश (Injunction) से पाबन्द करे, जिससे विवादित आराजी की रक्षा हो सके। हालांकि जिस आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है, उसमें मात्र तारीख पेशी को इल्तवा किया गया है, जिसकी अपील पोषणीय नहीं है, किन्तु प्रकरण में न्यायालय हाजा के समक्ष जो तथ्य प्रकट किए गए है, उनके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा भूमि की रक्षा हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समुचित प्रयास किए गए, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वे अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र पर प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक सुनवाई हेतु नियत करतें एवं जो भी हो, यथोचित सकारण आदेश पारित करते, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो कोई कार्यवाही की गई एवं न ही ऐसा कोई प्रयास किया, जो भूमि की रक्षा हेतु उचित जान पड़ता हो। यह स्थिति प्रकरण में असामान्य प्रकृति का परिलक्षित करती है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही सम्पादित नहीं किया जाना भी व्यादेश नहीं दिए जाने की श्रेणी में शुमार होता है।

तद्नुसार विधिक दृष्टिकोण से प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायहित में हम यह निर्देश दिया जाना उचित समझतें हैं कि उपखण्ड अधिकारी सांचौर दोनों पक्षों को सुनकर विधि अनुसार कार्यवाही कर दो माह के भीतर प्रकरण पर यथोचित निर्णय पारित करें, तब तक जैर अपील विवादित आराजी मौजा मीरपुरा पटवार हल्का गुन्दाऊ के खसरा नम्बर 14, 35, 36 व 37 कुल खसरा 4 जिसका कुल रकबा 16.07 हैक्टेयर की आराजी के संदर्भ में उभयपक्ष Status quo maintain करें। इस आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय एवं तहसीलदार सांचौर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। दो माह पश्चात उक्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जावेगा। उपरोक्त विवेचन के अनुसार उपरोक्त निर्देश के साथ यह अपील आक्षेपित आदेश के विरूद्ध पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय एवं तहसीलदार सांचौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली